संख्या–14भा0स0 / नौ–7–15–75(जरनल) / 2015

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम,उ0प्र0।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक 10 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2015

विषयः जन्म पंजीकरण अनिवार्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से देश में **''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ''** कार्यक्रम का शुभारम्भ मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.01.2015 को पानीपत, हरियाणा में किया गया है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत घटते लिंग अनुपात पर चिन्ता व्यक्त करते हुए गर्भावस्था के पंजीकरण एवं बच्चों के अनिवार्य जन्म पंजीकरण पर बल दिया गया है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नागर निकाय क्षेत्र में बच्चों का अनिवार्य जन्म पंजीकरण की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. श्री नीरज मण्डलोई, संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
3. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

earvikas@email.com